

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प01(47)एमई / ग्रुप-1 / 1985

जयपुर, दिनांक : 23/2/22


आदेश

डॉ० शिवरतन कोचर (जन्म तिथि 06.06.1958), वरिष्ठ आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर का चयन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाईटी के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज, सीकर में आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानों के तहत उनको राज्य सेवा से एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ० शिवरतन कोचर, वरिष्ठ आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से


(इकबाल खान)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुखा शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
6. डॉ० शिवरतन कोचर, वरिष्ठ आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
7. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव